डायरा संख्या 381 दिनांक 20/1/2020

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अधिष्ठान–4ख अनुभाग)
सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग,उत्तर प्रदेश

संख्याः– 2951 /ई–4ख/मं0क0स0/नियुक्ति/ लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी/2019

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–04–परीक्षा/2016 के कम मे पत्रांक–64/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019, दिनांक 29.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये परिणाम सूची के कम में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को नियुक्ति अस्थाई कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान (रू0 21700–69100 लेवल–3) मे प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 06 में नियुक्ति/पदस्थापना के आदेश निर्गत किये जाते हैः–

कमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि सर्वश्री	अभ्यर्थी का पता	श्रेणी	अनुक्रमांक	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री उदय प्रताप सिंह (जन्मतिथि 19.08.1993)	पता–ग्राम–परसिया, पोस्ट–सीताकुण्ड, थाना–हल्दी जिला–बलिया, उत्तर प्रदेश।	सामान्य	00210573	ड्रेनेज मण्डल, बलिया

1– उपरोक्त नवनियुक्ति कनिष्ठ सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र मूलरूप में नियंत्रक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगा, अन्यथा उनकी योगदान स्वीकार नहीं की जायेगीः–

(ए) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास (Domicile) प्रमाण–पत्र।

(बी) यदि पहले से सेवा में हैं, तो उस विभाग से कार्यमुक्त होने का प्रमाण–पत्र।

(सी) शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य जहाँ पर उनसे अन्तिम रूप से शिक्षा प्राप्त की हो, के द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

(डी) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का स्वयं का घोषणा पत्र (शासकीय आदेश संख्या–4302/02/1954, दिनांक–21.05.1959 के अनुसार) ।

(ई) सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

(एफ) समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित प्रतियां।

(जी) शासनादेश सं0–1003/60–3–06–3(16ए0क्यू0)/2000 दिनांक 08.06.2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के अनुसार **अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया है अथवा नहीं लूॅगा** का घोषणा पत्र।

(एच) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्वयं व अपने आश्रितों द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उक्त विवरण उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के क्रम में प्रत्येक 05 वर्ष पर नियक्ति प्राधिकारी को नियमित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2– उक्त नियुक्ति, नियुक्ति विभाग, अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–20/1/74 नियुक्ति–3 दिनांक 11 जून 1975(यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली–2014 में प्राविधानित नियमों एवं सेवा शर्तो के अधीन की जा रही है। कनिष्ठ सहायक की सेवा किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि कनिष्ठ सहायक स्वयं सेवामुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। एक माह के नोटिस के बदले विभाग एक माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन जमा कराकर भी कनिष्ठ सहायक को सेवा से अवमुक्त कर सकता है। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक भी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन नोटिस में कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा से अवमुक्त हो सकता है।

3– नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रहेंगे। उक्त अवधि में उनका कार्य कलाप असन्तोषजनक होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

4– नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नही होगा।

5– इन्हें समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होगें।

6– नियुक्ति आदेश का कम वरिष्ठता का आधार नहीं होगा।

7– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक के शैक्षणिक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन जारी करने वाले प्राधिकारी से करायें।

8– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को निर्धारित प्रप्त्र पर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने तथा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

17/1/20

कम्प्यूटर केन्द्र

9– उपरोक्त नियुक्ति शासनादेश संख्या–22/5/1982--का–2, दिनांक 27–7–1994 के प्रस्तर–2 के अनुसार अस्थायी है और शैक्षणिक अभिलेखो/जाति प्रमाण पत्र के उचित सत्यापन के शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर शैक्षणिक अभिलेखो/जाति प्रमाण पत्र का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त मानी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

10– **अभ्यर्थी को अपना कार्यभार आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि तक कार्यभार नहीं ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।**

अनूप कुमार श्रीवास्तव
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष

संख्या:–2951 /1/ई–4ख/तद्दिनांक:– 15-1-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्रांक–64/गोपन अनुभाग/1/18/2016/2019,दिनांक 29.01.2019 के सन्दर्भ में।
2. सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–7) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(स्तर–1) एवं (स्तर–2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त नियुक्ति आदेश को सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई)/(परिकल्प एवं नियोजन)/(परियोजना)/(यांत्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियन्ता, (कार्मिक स्तर–1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. अध्यक्ष/महामंत्री, मिनिस्टीरियल एसोशियेसन सर्किल इरीगेशन डिपार्टमेन्ट, लखनऊ।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. प्रशासनिक अधिकारी(ई–4ख)/कट–फाइल।

15-1-2020
(विजय कुमार बसेड़िया)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक–4/6)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग